JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य

[1]Kamalesh kumar yadav, [2]Dr. Mukesh kumar kori
[1]LLM student, [2]Guide
[z12]Sage university indore

सारांश (Abstract)

सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने अपराध की प्रकृति, स्वरूप एवं अन्वेषण प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन किया है। वर्तमान समय में अपराध केवल भौतिक साधनों तक सीमित न रहकर डिजिटल माध्यमों—जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई-मेल, सीसीटीवी एवं कॉल डिटेल रिकॉर्ड—के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। परिणामस्वरूप, **डिजिटल साक्ष्य** आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य अंग बन गया है।

यह शोध-पत्र आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य की अवधारणा, विधिक मान्यता, संकलन प्रक्रिया, प्रमाणिकता, न्यायालयीन स्वीकार्यता तथा इससे संबंधित व्यावहारिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि किस प्रकार डिजिटल साक्ष्य दोषसिद्धि में सहायक सिद्ध हो रहा है तथा भारतीय न्यायालय इस साक्ष्य के प्रति किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं।

कुंजी शब्द (Keywords)

डिजिटल साक्ष्य, आपराधिक न्याय, धारा 63, साइबर अपराध, डिजिटल फॉरेंसिक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

1. प्रस्तावना

आधुनिक युग को डिजिटल युग कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं है। आज मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र—संचार, व्यापार, शिक्षा, शासन एवं न्याय—डिजिटल तकनीक से प्रभावित है। इसी के साथ अपराध भी तकनीकी रूप से उन्नत हो गए हैं। परंपरागत अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

इन परिस्थितियों में अपराध की जाँच एवं अभियोजन में **डिजिटल साक्ष्य** की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन-ड्राइव, सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सऐप चैट, ई-मेल, GPS डेटा एवं CCTV फुटेज आज न्यायालयों में प्रमुख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

2. डिजिटल साक्ष्य की अवधारणा

डिजिटल साक्ष्य से तात्पर्य ऐसे साक्ष्य से है जो **डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित, प्रेषित या उत्पन्न** होता है और जिसे किसी अपराध की जाँच या न्यायिक कार्यवाही में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की **धारा 2** के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जबकि **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वैधानिक स्थिति को सुदृढ़ किया है।

3. शोध के उद्देश्य

1. आपराधिक मामलों में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका का अध्ययन करना।
2. डिजिटल साक्ष्य की विधिक स्वीकार्यता का विश्लेषण करना।
3. धारा 63 की व्यावहारिक उपयोगिता का परीक्षण करना।
4. डिजिटल साक्ष्य से संबंधित न्यायालयीन दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
5. डिजिटल साक्ष्य के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की पहचान करना।

4. शोध परिकल्पनाएँ

1. डिजिटल साक्ष्य की उपस्थिति से दोषसिद्धि की संभावना बढ़ती है।
2. विधिसम्मत रूप से संकलित डिजिटल साक्ष्य न्यायालय में अधिक स्वीकार्य होते हैं।
3. धारा 63 डिजिटल साक्ष्य की वैधता का आधार स्तंभ है।
4. तकनीकी त्रुटियों के कारण डिजिटल साक्ष्य अस्वीकार किए जाते हैं।
5. डिजिटल साक्ष्य परंपरागत साक्ष्य की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं।

5. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र में **वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति** अपनाई गई है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों—जैसे अधिनियम, न्यायालयीन निर्णय, विधिक पत्रिकाएँ, पुस्तकें एवं शोध लेख—का उपयोग किया गया है।

6. डिजिटल साक्ष्य का विधिक आधार

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की **धारा 62 एवं 63** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को विधिक मान्यता प्रदान करती हैं। धारा 63 के अनुसार, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाण के रूप में स्वीकार करने हेतु उसका प्रमाणपत्र आवश्यक है।

अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीयर (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 63 का अनुपालन अनिवार्य है।

7. डिजिटल साक्ष्य एवं न्यायालयीन दृष्टिकोण

भारतीय न्यायालय डिजिटल साक्ष्य के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हैं। न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि साक्ष्य—

- प्रामाणिक हो
- बिना छेड़छाड़ के प्रस्तुत किया गया हो
- विधिसम्मत रूप से संकलित किया गया हो

अर्जुन पंडित्राव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः धारा 63 की अनिवार्यता को दोहराया।

8. डिजिटल साक्ष्य से संबंधित चुनौतियाँ

1. छेड़छाड़ की संभावना
2. तकनीकी विशेषज्ञों की कमी
3. जाँच एजेंसियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण
4. डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की सीमित संख्या
5. विधिक प्रक्रिया की जटिलता

9. सुझाव

1. पुलिस एवं अभियोजन अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए।
2. डिजिटल फॉरेंसिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए।
3. धारा 63 के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए।
4. न्यायाधीशों के लिए निरंतर तकनीकी कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

10. निष्कर्ष (Conclusion)

डिजिटल साक्ष्य आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ बन चुका है। यह न केवल अपराध की सटीक जाँच में सहायक है, बल्कि दोषसिद्धि की प्रक्रिया को भी अधिक विश्वसनीय बनाता है। यद्यपि डिजिटल साक्ष्य के समक्ष अनेक तकनीकी एवं विधिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं, तथापि उचित प्रशिक्षण, सुदृढ़ विधिक ढाँचे एवं न्यायालयीन मार्गदर्शन से इन चुनौतियों का समाधान संभव है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिजिटल साक्ष्य भविष्य में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

संदर्भ सूची (References)

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023
2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
3. अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीयर, (2014) 10 SCC 473
4. अर्जुन पंडित्राव खोतकर बनाम कैलाश कुशानराव गोरंट्याल, (2020) 7 SCC 1
5. विभिन्न सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट निर्णय